न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–50/2017

लालबाबू प्रसाद..वादी

बनाम

रामजी हलुवाई एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
24.03.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादी सं0–01 ता 09 की तरफ से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 60 व 64 के अन्तर्गत एक आवेदन दिनांक 07.01. 2026 को दाखिल किया गया, जिसका प्रतिउत्तर वादी की ओर से दाखिल नहीं किया गया लेकिन मौखिक रूप से प्रतिवादी सं0–01 ता 09 के आवेदन Pre-mature बताया गया। अभिलेख आज प्रतिवादी सं0–01 ता 09 के आवेदन दिनांक 07.01.2026 पर आदेश हेतु नियत है। प्रतिवादी सं0–01 ता 09 के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि वादी ने अपने साक्षी सं0–01 लालबाबु प्रसाद के मुख्य शपथ पत्र के कंडिका 24, 25 व 27 में जिन फोटो प्रतिलिपि कागजातों को प्रदर्श कराना चाहते है, वह है– खेस्टा बयनामा दिनांक 01.11.1938, सूचना के अधिकार के अधीन आवेदन दिनांक 27.02.18, कथित बुझारत रजिस्टर, अंचल अधिकारी, लौरिया द्वारा निर्गत पत्र दिनांक 20.03.18 एवं वादी द्वारा सूचना पाने का आवेदन दिनांक 27.02.18 । उपरोक्त कागजातों के प्रदर्श के संबंध में कहना है कि जब तक वादी द्वितीय साक्ष्य के रूप में ग्रहण करने हेतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 60 व 64 में प्रावधानित नियमों का पालन नहीं करते है तब तक फोटोकॉपी कागजात को प्रदर्श करना न्याय विरुद्ध होगा। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उपरोक्त प्रावधानों का पालन नहीं करने की स्थिति में उनके कागजातों को सबूत के रूप में प्रदर्श ग्रहण नहीं करने की कृपा करें। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी सं0–01 ता 09 के आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–50/2017

लालबाबू प्रसाद..वादी

बनाम

रामजी हलुवाई एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार **24.03.2026**	लेकिन दिनांक 10.03.2026 के आदेशानुसार मौखिक रूप से प्रतिवादी सं0–01 ता 09 के आवेदन को Pre-mature बताया गया तथा प्रतिवादी सं0–01 ता 09 के आवेदन को खारिज करने का प्रार्थना किया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद में वाद बिन्दु का गठन दिनांक 16.12.2025 को न्यायालय द्वारा किया गया और वादी को दिनांक 17.12.2025 को स्वयं का साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। वादी की ओर से वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादी लालबाबू प्रसाद के स्वयं के साक्ष्य का शपथ पत्र दिनांक 26.09.2025 को न्यायालय में दाखिल किया गया जो अभिलेख पर मौजूद है। वादी को अपने वाद को साबित करने का पूरा अधिकार है। यदि प्रतिवादीगण को वादी के साक्ष्य के क्रम में कोई आपत्ति होती है तो वह अपना आपत्ति व्यक्त कर सकते है। प्रतिवादीगण को वादी साक्षी का प्रतिपरीक्षण करने का पूरा अधिकार है। प्रतिवादीगण को अपने साक्ष्य के दौरान जो भी साक्ष्य देना होगा, अपना साक्ष्य देंगे। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण का आवेदन दिनांक 07.01.2026 पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। वाद दिनांक 16.04.2026 को वादी साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	